खबर संक्षेप

छात्र-छात्राओं ने जिला क्षय केंद्र का किया भ्रमण

टीबी मुक्त भारत अभियान तथा रोकथाम संबंधी जानकारी से हुए अवगत

शहडोल। पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के समाजशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों ने अध्ययन भ्रमण के तहत जिला क्षय केंद्र (टीबी अस्पताल) का दौरा किया। इस दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक मीनाक्षी पटेल ने छात्रों को टीबी मुक्त भारत अभियान समेत टीबी रोग की प्रकृति, लक्षण, रोकथाम एवं सरकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

मीनाक्षी पटेल ने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है, जो हवा के माध्यम से फैलता है। यह दो प्रकार की होती है, पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है और सबसे अधिक संक्रामक होती है, तथा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करती है। उन्होंने समझाया कि टीबी मरीज के खांसने या छींकने से निकलने वाले जीवाणु हवा में फैलते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहडोल जिले में 5 टीबी यूनिट और 15 माइक्रोस्कोपिक सेंटर कार्यरत हैं। यहां संभावित मरीजों की निःशुल्क जांच की जाती है और संक्रमण की पुष्टि होने पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। टीबी मरीजों को सामाजिक सहयोग देने के लिए निक्षय मित्र योजना लागू है, जिसमें समाज के सक्षम लोग टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण, जागरूकता और नियमित दवा सेवन के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा टीबी मरीजों को उपचार अवधि में प्रतिमाह पोषण सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। भ्रमण के दौरान छात्रों को टीबी नियंत्रण, उपचार की अवधि, सावधानियाँ और जागरूकता संबंधी अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में विक्रम कल्याणी, एमएसडब्ल्यू के विजिटिंग फैकल्टी नितिन गर्ग, डॉ. सी.के. त्रिपाठी सहित तृतीय व प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को टीबी उन्मूलन प्रयासों की जमीनी कार्यप्रणाली से अवगत कराना था।

अमन होटल से चल रहा 'निजी दफ्तर', स्थानीय विधायक चुप!

दो बीजेपी विधायकों की गरज-विधानसभा में गूंजा शहडोल आरटीओ घोटाला

शहडोल।

संभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की अनियमितताएं अब विधानसभा तक गूंज रही हैं। भाजपा के दो विधायक अनूपपुर पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह और उमरिया के विधायक शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया) ने परिवहन अधिकारी की मनमानी, कर चोरी, फर्जीवाड़े, नियम उल्लंघन और सत्ता संरक्षण के आरोपों को सदन में जोरदार तरीके से रखा है। स्थिति और गंभीर तब हुई जब पता चला कि अधिकारी सरकारी कार्यालय से अधिक समय अमन होटल के निजी कक्ष में बैठकर दफ्तर चला रही हैं। उधर शहडोल जिले के तीनों स्थानीय विधायक इस पूरे प्रकरण पर मौन हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गड़बडियां उन्हें दिखी ही नहीं या फिर कहीं 'मैनेजमेंट' ने खामोशी खरीद ली?

विधानसभा में तीखे सवाल

शहडोल संभाग का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बीते कुछ महीनों में जिस तरह से विवादों में घिरा है, उसने अब एक प्रशासनिक मुद्दे को सीधा-सीधा राजनीतिक तूफान में बदल दिया है। भाजपा सरकार के लंबे शासनकाल में यह कम ही देखने को मिला है कि एक विभाग की कार्यशैली के विरोध में भाजपा के ही दो विधायक विधानसभा में इतने तीखे सवाल उठाएँ, वह भी ऐसे समय में जब विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन शहडोल आरटीओ कार्यालय की बढ़ती गड़बडियों, कर चोरी, फर्जीवाड़े, गुप्त मिलीभगत, नियम तोडऩे और दफ्तर को निजी होटल से संचालित किए जाने जैसी घटनाओं ने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया कि अब यह मामला विधानसभा के पटल पर बड़े खुलासों की तैयारी में है।

परिवहन अधिकारी पर गंभीर आरोप

अनूपपुर के विधायक और पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने शहडोल संभाग के परिवहन विभाग में चल रही कूट-रचना और मनमानी को लेकर वह धमाका किया है, जिसने पूरे विभाग की नींव हिलाकर रख दी है। उन्होंने सदन में एमपी 65पी 0220 वाहन का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में यह वाहन एमजीएम स्कूल धनपुरी के नाम से स्कूल बस के रूप में लीज़ में पंजीकृत हुआ था, लेकिन बाद में इसे एसईसीएल सोहागपुर एरिया में सामान्य यात्री बस की तरह दौड़ाया जाता रहा। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने यह मामला सभी शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई विस्तृत शिकायतों के साथ उजागर किया, जिसमें कर चोरी, जालसाजी, फर्जी रूट पर संचालन और परिवहन विभाग की मिलीभगत जैसे बेहद गंभीर आरोप शामिल थे। श्री सिंह ने सदन में यह सवाल उठाया कि क्या इतने स्पष्ट साक्ष्यों के बावजूद विभाग जानबूझकर कार्रवाई से बच रहा है और आरोपी बस मालिक को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि आरोपी पर कौन-सा प्रकरण दर्ज हुआ, कितनी कर वसूली और दंड निर्धारित हुआ और आखिर इस पूरे घोटाले पर अभी तक कौन-सी कार्रवाई की गई। यह पूरा मामला अब 4 दिसंबर को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और माना जा रहा है कि उस दिन कई राज़ खुल सकते हैं।

अधिकारों का हुआ दुरूपयोग

दूसरी ओर उमरिया के विधायक और पूर्व सांसद ज्ञान सिंह के पुत्र शिवनारायण सिंह ने परिवहन अधिकारी की स्वेच्छाचारिता और मनमानी पर प्रश्न क्रमांक 907 के माध्यम से सदन में बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता की कई शिकायतों को अधिकारी ने जानबूझकर दबा दिया और बस ऑपरेटर विनोद गुप्ता के स्थाई परमिट में गलत और अपूर्ण जानकारी देकर मनमानी से अनुमति प्रदान की। यहां तक कि टाइम टेबल में मात्र पांच मिनट का अंतर रखकर बसों को परमिट जारी कर दिया गया, जिससे दुर्घटना का खतरा और परिवहन व्यवस्था की अव्यवस्था की आशंका बढ़ गई। आरोप यह भी लगे कि फाइलों से आपत्तियाँ हटाकर बिना अनुमोदन के हस्ताक्षर कराए गए, जिसके चलते आयुक्त शहडोल द्वारा अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया है। विधायक ने सरकार से पूछा है कि जनहित और शासकीय अधिकारों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई कब तक होगी और विभागीय जांच कब पूरी होगी।

होटल से चल रहा कार्यालय

इन दोनों गंभीर मामलों के बीच एक विस्फोटक तथ्य यह भी उजागर हुआ कि संबंधित परिवहन अधिकारी ज्यादातर समय सरकारी कार्यालय में नहीं बैठता, बल्कि निजी प्रतिष्ठान अमन होटल से कार्यालय संचालन करता है। शिकायत सीधे संभागीय आयुक्त सुरभि गुप्ता तक पहुंची है, जिसने इस पूरे प्रकरण को सामान्य अनियमितता के दायरे से निकालकर सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा हमला बना दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि एक अधिकारी को किस अधिकार से सरकारी दफ्तर छोड़कर निजी होटल में कार्यालय चलाने की अनुमति मिल सकती है और यह सब किसके संरक्षण में हो रहा था?

शहडोल के प्रतिनिधि मौन

इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि शहडोल जिले के तीनों विधायक शरद कोल ब्यौहारी, मनीषा सिंह जयसिंहनगर और जयसिंह मरावी जैतपुर इस मुद्दे पर एकदम चुप हैं। जब दो जिलों के भाजपा विधायक शहडोल के आरटीओ की गड़बडिय़ों को विधानसभा तक लेकर गए, तब शहडोल के प्रतिनिधियों का मौन कई सवाल खड़े करता है। क्या उन्हें ये समस्याएं कभी दिखीं ही नहीं? क्या उनके क्षेत्रों में बसों, परमिट, कर चोरी और फर्जीवाड़े की शिकायतें नहीं आतीं? या फिर यह चुप्पी किसी मैनेजमेंट के तहत खरीदी गई खामोशी है? जनता के बीच यह चर्चा और तेज हो गई है कि शायद इन तीनों विधायकों ने किसी न किसी वजह से इस पूरे मामले पर चुप रहने का फैसला कर लिया है।

कार्यालय सरकारी, संचालन निजी होटल से

शिकायतों में यह भी सामने आया कि परिवहन अधिकारी प्रायः अमन होटल में बैठकर परमिट, कर निर्धारण, रूट अनुमति और अन्य फाइलों पर निर्णय लेता है। यह सरकारी दफ्तर का खुला दुरुपयोग माना जा रहा है और यह आरोप विभाग की साख पर बड़ा धब्बा है।

अनिल गुप्ता की शिकायतों को दबाया गया

पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कर चोरी, कूटरचना और 2019 की स्कूल बस फर्जीवाड़े सहित दर्जनों शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों को भेजीं, लेकिन विभागीय स्तर पर इन्हें निचले स्तर पर दबा दिया गया। यही वह तथ्य है जिसने दोनों विधायकों को सदन में खुलकर बोलने पर मजबूर किया।

4 दिसंबर को होगी 'फाइनल ओपनिंग'

दो-दो विधायकों के सवाल, आयुक्त स्तर पर नोटिस और अमन होटल से चलने वाले ऑफिस की शिकायतें, इन सबकी रिपोर्ट 4 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगी। माना जा रहा है कि इस दिन शहडोल संभाग का सबसे बड़ा परिवहन खुलासा सामने आ सकता है, जिसके राजनीतिक असर भी दूर तक महसूस किए जाएंगे। शहडोल संभाग के परिवहन कार्यालय का यह प्रकरण अब सामान्य शिकायत नहीं रहा। यह भ्रष्टाचार, सत्ता संरक्षण, प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक मौन के मिश्रण से बना वह मामला है, जिसकी गूंज सिर्फ शहडोल ही नहीं, भोपाल तक सुनाई दे रही है। 4 दिसंबर को विधानसभा में क्या खुलासा होगा, यह सिर्फ विभाग नहीं बल्कि पूरे संभाग की साख का सवाल बन चुका है।

घरेलू रंजिश का खौफनाक अंत

जेठ ने लिव-इन पार्टनर को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट

शहडोल।

जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र की दर्शिला चौकी के अंतर्गत ग्राम खाड़ा में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया है। घरेलू विवाद और अवैध शराब के धंधे को लेकर पनपी रंजिश में एक जेठ ने अपने छोटे भाई की लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, ग्राम खाड़ा निवासी माखन प्रजापति वर्ष 2020 में गुजरात से संगीता को अपने साथ लाए थे और तब से दोनों लिव-इन रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। संगीता घर में ही अवैध रूप से शराब बनाकर बेचती थी, जिससे संदिग्ध लोगों का घर पर आना-जाना लगा रहता था। माखन के बड़े भाई, जीवनलाल प्रजापति, और उनकी माँ को यह कृत्य बिल्कुल पसंद नहीं था और वे इसका लगातार विरोध करते थे। इसी बात को लेकर घर में अक्सर तनाव और विवाद रहता था।

यह तनाव 28 नवंबर को एक खौफनाक मोड़ पर पहुँच गया। घटना वाले दिन भी शराब बनाने और अपनी माँ को खाना न देने की बात पर जीवनलाल और संगीता के बीच तीखी कहासुनी हुई। गुस्से में आकर आरोपी जीवनलाल ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और संगीता पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद, आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की नीयत से खलिहान में रखे पैरा घास (पुआल) के ढेर में छिपा दिया और घर लौट आया। संगीता का लहूलुहान शव मिलने पर दर्शिला पुलिस मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की। परिवार पर शक होने पर पुलिस ने जब जीवनलाल से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया।

पुलिस ने आरोपी जीवनलाल को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यह घटना लिव-इन रिश्ते में उपजे पारिवारिक तनाव और अवैध गतिविधियों के कारण हुए एक भयानक और दुखद अंत के रूप में सामने आई है, जो गाँव में चर्चा का विषय बनी हुई है।

प्रतिबंधित आयुर्वेदिक दवाओं के क्रय-विक्रय पर जिले में रोक उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

शहडोल। जिला आयुष अधिकारी डॉ. शशि प्रभा पाण्डेय ने बताया कि संचालक आयुष, मध्यप्रदेश द्वारा की गई जांच में कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ अमानक पाई गई हैं। इनमें डाबर इंडिया लिमिटेड की कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) तथा धनवंतरी हर्बल की प्रावाल पिष्टी और मुक्त शुक्ति शामिल हैं। इन दवाओं के क्रय-विक्रय पर पूरे मध्यप्रदेश में प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में भी इनकी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। जिला आयुष अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री या खरीद पर ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं 1945 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि उक्त बैच की कोई भी दवा न खरीदें और यदि किसी विक्रेता के पास उपलब्ध हो तो तुरंत जिला आयुष कार्यालय, शहडोल को सूचना दें।

साखी गांव में बीएलओ पर जानलेवा हमला, तीन लोग घायल

दहशत में क्षेत्र के सभी बीएलओ, आरोपी गिरफ्तारी से दूर

शहडोल। जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम साखी में शनिवार को बीएलओ पर हुए हमले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। गांव के ही माला पिता ग्यानी लोनी ने अचानक हाथ में डंडा लेकर बीएलओ संतोष कुमार पनिका का कालर पकड़ लिया और उन्हें गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। बीएलओ किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। बीच-बचाव के लिए पहुंचीं मोहल्ले की दो महिलाओं और एक युवक पर भी आरोपी ने धावा बोल दिया, जिससे सभी लहूलुहान हो गए।

आरोपी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला कोल तथा पंचायत की रोजगार सहायक प्रतिमा को भी अश्लील गालियाँ देते हुए धमकाया। घटना के दौरान बीएलओ का झोला और मोटरसाइकिल भी छीन ली गई। घायलों के अनुसार कई घंटे बीत जाने के बाद भी न तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते वे एसआईआर के निर्वाचन से जुड़े कार्य करने से साफ इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है जान है तो जहान है, ऐसी परिस्थिति में काम कैसे करें? पुलिस देर से मौके पर पहुंची और बीएलओ का झोला व मोटर साइकिल तो वापस दिलवा दी, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी है। घटना से क्षेत्र के अन्य बीएलओ दहशत में हैं। उनका कहना है कि यदि आरोपी पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही नहीं होती, तो एसआईआर का पूरा कार्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं तो संवैधानिक दायित्व निभाना संभव नहीं।

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)
(अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14)
अपील क्रमांक-MA/5742/2024
Process Id: 231086/2025
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD. अपीलार्थी
SMT. VANDANA GUPTA, प्रत्यर्थी
सन् 2022 के MACC क्रमांक-104 सन् 2022 में न्यायालय Member, MACT, Shri M.K. Jain, Shahdol (Madhya Pradesh) की डिक्री/आदेश, दिनांक 01-04-2024 के विरूद्ध अपील।
प्रति,
Lokendra Sharma S/o Shri Surendra Sharma, R/o- Kotma, District- Anuppur, Madhya Pradesh
प्रत्यर्थी,
अपील की सुनवाई का दिनांक - कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 08/12/2025 नियत की गई है। आपत्तियाँ, प्रति आपत्तियाँ, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए। कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक- कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 08/12/2025 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातों करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें । सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है।
सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये :-
1) कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या) (1), (2) पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियों आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें) (2), (3) कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3)। यदि आप कागजात की पुस्तक में कोई कागज शामिल नहीं करना चाहते हों, तो यह अपेक्षित है कि आप उक्त दिनांक 08/12/2025 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संयत निचले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो गए है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं । आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की मुहर से दिया गया।
प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)
(अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14)
अपील क्रमांक-MA/5742/2024
Process Id: 231084/2025
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD. अपीलार्थी
SMT. VANDANA GUPTA, प्रत्यर्थी
सन् 2022 के MACC क्रमांक-104 सन् 2022 में न्यायालय Member, MACT, Shri M.K. Jain, Shahdol (Madhya Pradesh) की डिक्री/आदेश, दिनांक 01-04-2024 के विरूद्ध अपील।
प्रति,
R-1 Smt. Vandana Gupta W/o Late Himanshu Gupta,
R-2 Esana Gupta D/o Late Himanshu Gupta, Minor Through Natural Mother Smt. Vandana Gupta W/o Late Himanshu Gupta
Both R/o- Near New Rambabu Colony, Ward No. 20, Ganesh Ganj, Indira Chowk, Shahdol, District- Shahdol, Madhya Pradesh
प्रत्यर्थी,
अपील की सुनवाई का दिनांक - कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 08/12/2025 नियत की गई है। आपत्तियाँ, प्रति आपत्तियाँ, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए। कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक- कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 08/12/2025 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातों करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें । सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है।
सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये :-
1) कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या) (1), (2) पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियों आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें) (2), (3) कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3)। यदि आप कागजात की पुस्तक में कोई कागज शामिल नहीं करना चाहते हों, तो यह अपेक्षित है कि आप उक्त दिनांक 08/12/2025 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संयत निचले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो गए है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं । आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की मुहर से दिया गया।
प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा

महाकौशल प्रांत में प्रारंभ हुआ व्यापक गृह संपर्क अभियान

शहडोल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में चलाए जा रहे व्यापक गृह संपर्क अभियान की शुरुआत महाकौशल प्रांत में रविवार से कर दी गई है। यह अभियान पूरे प्रांत में चरणबद्ध तरीके से संचालित होगा। प्रांत प्रचार प्रमुख विनोद दिनेश्वर महाकौशल प्रांत द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार महाकौशल प्रांत के 10 विभाग और 34 जिलों के 23,914 ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की 894 बस्तियों में रह रहे 65 लाख से अधिक परिवारों तक संपर्क किया जाएगा।

शहडोल जिले में 6 खंड, 836 ग्राम, 6 नगर और 28 बस्ती स्तर में निवास कर रहे लगभग 2 लाख 50 हजार परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य निर्धारित है। संपर्क कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिए 5-5 स्वयंसेवकों की टोलियां गठित की गई हैं, जिनमें विविध क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ 2-2 मातृशक्तियों को भी शामिल किया गया है। उद्देश्य यह है कि अभियान के दौरान कोई भी घर संपर्क से वंचित न रहे।

अभियान के दौरान प्रत्येक घर में भारत माता का स्टीकर लगाया जाएगा और संघ की गतिविधियों संबंधी एक पत्रक भेंट किया जाएगा। साथ ही सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों पर भी संवाद स्थापित किया जाएगा। दरअसल व्यापक गृह संपर्क अभियान का मूल उद्देश्य है, समाज की बातों को सुनना और उनसे संवाद स्थापित करना है।

शहडोल जिले में 'मुस्कान अभियान' जारी

साइबर अपराधों से बचाव हेतु विद्यार्थियों को किया गया जागरूक

शहडोल।

पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले भर में संचालित मुस्कान अभियान के तहत स्कूलों में छात्रों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं। इसी क्रम में शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय खड्डा और शासकीय हाई स्कूल भोमरा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को थाना प्रभारियों ने गुड टच-बैड टच, महिला संबंधी अपराध, साइबर क्राइम, ऑनलाइन सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के प्रति विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

अधिकारियों ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से बताया कि किसी भी अनुचित स्पर्श, धमकी, बहलाने-फुसलाने या गोपनीयता बनाए रखने के दबाव की स्थिति में वे तुरंत माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस से संपर्क करें। साइबर सुरक्षा के संबंध में बच्चों को अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन बातचीत न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, निजी जानकारी साझा न करने और संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना 1098 हेल्पलाइन पर देने की सलाह दी गई।

कार्यक्रम में एसडीओपी ब्यौहारी मुकेश अबिद्रा, उप पुलिस अधीक्षक (प्रशि.) ऋषभ छारी, थाना प्रभारी सीधी निरीक्षक सेवेन्दर राम भगत, विद्यालयों के शिक्षकगण व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। पुलिस विभाग का कहना है कि मुस्कान अभियान के माध्यम से बच्चों को अपराधों से सुरक्षित रखने और जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य निरंतर जारी रहेगा।

जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर निरीक्षण तेज अधिकांश बूथों पर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण

शहडोल। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)कार्य में उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा द्वारा पिछले एक सप्ताह से किए जा रहे सतत निरीक्षण का प्रभाव अब बूथ स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को सिन्हा ने टीम के साथ बूथ क्रमांक 36, 37, 38, 39, 40 और 152सहित गिरवा-रामपुर क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण दल में डी.के. निगम, संजय मिश्रा, सीताराम मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

श्री सिन्हा ने संबंधित शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों और सहयोगी कर्मियों की बूथ स्तर पर तत्काल ड्यूटी लगाई तथा सुपरवाइजरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बूथ क्रमांक 152 पर बीएलओ द्वारा 90 मृत मतदाताओं के नाम बताए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजग़ी व्यक्त की और पंचनामा, सरपंच-सचिव के हस्ताक्षर सहित पूर्ण सूची एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

प्रदेश में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से एसआईआर कार्य चल रहा है। शहडोल जिले में यह कार्य कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशन में तेजी से प्रगति पर है। जैतपुर क्षेत्र में एसडीएम दीपक मंडावी और तहसीलदार संदीप बघेल के नेतृत्व में अधिकांश बूथों पर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बूथ क्रमांक 34 (चकोडिया) व 35 (कुड़ेली) का कार्य बबलू पटवारी और टीम द्वारा समय पर पूर्ण कराया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिन्हा ने सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि सूची 11-20 और 31-40 के सभी बूथों का कार्य आज ही हर हाल में पूर्ण करें और किसी भी बाधा की स्थिति में तुरंत सूचना दें।

आज से बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

ग्राम भरौला में कलेक्टर ने खिलाड़ियों से की रूबरू चर्चा

उमरिया। 69वीं राष्ट्री य शालेय 14 वर्ष बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर 6 दिसंबर तक आयोजित होगा। प्रतियोगिता मे 33 राज्योंन के 693 प्रतिभागी भाग लेगे तथा 40 आफिसियल्स3 एवं 60 स्थानीय आफिसियल्स भाग लेगे । फुटबॉल खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, श्री आसुतोष अग्रवाल ने संयुक्त रूप से भरौला क्रीड़ा परिसर तथा चंदिया स्टेडियम का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन ने भरौला खेल परिसर में रूके मणिपुर तथा विद्याभारती से आए खिलाडिय़ो एवं कोचो से मुलाकात की एवं उनके अनुभवों को सुना । इस दौरान उन्होने खिलाडियो एवं कोचो के ठहरने, भोजन व्यवस्था का अवलोकन किया ।

आज 69वीं राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

उमरिया। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय मप्र के निर्देशानुसार 69वीं शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता बालक 14 वर्ष का शुभारंभ कार्यक्रम 1 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से विधायक बांधवगढ शिवनारायण सिंह के मुख्य आतिथ्य में अमर शहीद स्टेडियम उमरिया में किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष जिला पंचायत ओम नारायण सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह उपस्थित रहेंगी।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वन विभाग ने तत्काल लागू की व्यवस्था

टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी 1 दिसंबर से पूरी तरह बंद

उमरिया

1 दिसंबर 2025 से नाइट सफारी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभयारण्यों में अब पर्यटक केवल दिन के समय ही सफारी कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 नवंबर 2025 को पारित आदेश के बाद लिया गया है। आदेश मिलते ही वन विभाग ने सभी फील्ड डायरेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए नाइट सफारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा है। वन विभाग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और उनके प्राकृतिक जीवन चक्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने माना कि रात के समय मानव हस्तक्षेप बढऩे से वन्य जीवों के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आदेश का पालन करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) कार्यालय ने प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व प्रबंधन को निर्देशित किया है कि 1 दिसंबर से किसी भी प्रकार की नाइट सफारी बुकिंग स्वीकार न की जाए और इसे पूर्णतः रोक दिया जाए।

नाइट सफारी पर विशेषज्ञों की बढ़ती चिंता

पिछले कुछ वर्षों में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और अन्य टाइगर रिजर्वों में नाइट सफारी को धीरे-धीरे बढ़ावा दिया जाने लगा था। पर्यटकों के लिए यह नई और रोमांचक सुविधा थी, जिससे इन रिजर्वों में आने वाले आगंतुकों की संख्या में वृद्धि भी हुई। स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला और कई लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए, लेकिन दूसरी ओर वन्य जीव विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी दे रहे थे कि रात के समय सफारी से जंगल का प्राकृतिक वातावरण बाधित हो रहा है। विशेष रूप से बाघों, तेंदुओं, भालुओं और अन्य रात्रिचर प्राणियों की गतिविधियों में असामान्य परिवर्तन देखने को मिले। विशेषज्ञों का कहना था कि वाहन की तेज़ रोशनियों, आवाज़ और मानव उपस्थिति से वन्य जीव तनाव में आ जाते हैं, जिससे उनके शिकार, भोजन, प्रजनन और चलायमान होने जैसे व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़े कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुनवाई के बाद 17 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सख्त रुख स्पष्ट करते हुए नाइट सफारी बंद करने का निर्देश जारी किया।

रिजर्व प्रबंधन ने शुरू की तैयारी

आदेश के तुरंत बाद बांधवगढ़ समेत सभी रिजर्वों के फील्ड डायरेक्टरों ने नाइट सफारी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाइडों, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंसियों को सूचना जारी कर दी गई है कि 1 दिसंबर 2025 से किसी भी प्रकार की नाइट सफारी बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। पहले से की गई बुकिंग को रद्द किया जा रहा है और पर्यटकों को इसकी जानकारी दी जा रही है। बांधवगढ़ रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि यह निर्णय कठिन जरूर है, लेकिन वन्य जीवन संरक्षण के हित में अत्यंत जरूरी है। रात का समय अधिकांश जीवों के लिए सक्रिय होने का समय होता है। ऐसे में मानव हस्तक्षेप कम होने से उनका प्राकृतिक व्यवहार सुरक्षित रहेगा, विभागीय अधिकारियों ने कहा।

पर्यटन व्यवसाय में निराशा

नाइट सफारी शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार मिला था। पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों में यह निर्णय निराशा का कारण बना है। उनका कहना है कि नाइट सफारी की वजह से ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी, जिससे होटल, होमस्टे, गाइड, ड्राइवर और टूर ऑपरेटरों को आर्थिक लाभ मिलता था। हालांकि वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला अदालत के आदेश पर आधारित है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। विभाग का कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा सर्वोपरि है और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है।

प्रकृति और संरक्षण के लिए बड़ा कदम

वन विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय का दीर्घकालिक असर सकारात्मक होगा। नाइट सफारी बंद होने से जंगलों में रात का प्राकृतिक मौन और अंधकार बना रहेगा, जो वन्य प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई अध्ययन बताते हैं कि रात्रिचर प्राणियों में रात की गतिविधियों में मानव उपस्थिति के कारण आने वाला व्यवधान धीरे-धीरे प्रजातियों की आदतों और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, बाघों का क्षेत्रीय व्यवहार काफी संवेदनशील होता है। रात में गश्त और शिकार के समय प्रकाश से उत्पन्न तनाव उनके व्यवहार को बदल सकता है, जिससे संघर्ष की स्थितियां बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, नाइट सफारी बंद होने से इन समस्याओं पर रोक लगेगी और जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बेहतर होगा।

अब सिर्फ दिन में होगी सफारी

अब राज्य के सभी टाइगर रिजर्वों में पर्यटकों को केवल दिन के समय ही सफारी की अनुमति दी जाएगी। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि नए नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए। गाइडों और पर्यटकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि यह फैसला वन्य जीवों और उनके निवासस्थानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मध्यप्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, के लिए यह कदम संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाघों और अन्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक परिवेश अधिक सुरक्षित होगा, और आने वाली पीढिय़ों को भी समृद्ध जैव विविधता का लाभ मिल सकेगा।

चंदिया स्टेडियम का कलेक्टर एवं सीईओ ने किया निरीक्षण

उमरिया। 69वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्ष बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर 6 दिसंबर तक आयोजित होगा। प्रतियोगिता मे 33 राज्योंन के 693 प्रतिभागी भाग लेगे तथा 40 आफिसियल्स3 एवं 60 स्थानीय आफिसियल्स भाग लेगे । चंदिया स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान उन्होने कहा कि खेल प्रतियोगिता की समस्त तैयारियां नियत तिथि के पूर्व पूरी कर ली जाए । इसके साथ ही जिन ग्राउंड में खेलो का अयोजन किया जाना है, वहां पर साफ सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखी जाए । फ्लैक्स, होर्डिंग्स के माध्यम से फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए । खिलाडिय़ो को मैदान तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नही हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए ।

4 दिसंबर को कबीर मेला

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

उमरिया। कबीर मेला के अवसर पर 4 दिसंबर को बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व ताला स्थित कबीर गुफा में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। कलेक्टर ने मेले की समस्त तैयारियां समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने संयुक्त रूप से श्रध्दालुओ के लिए कबीर गुफा तक पहुंचने वाले मार्गो का अवलोकन किया। इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाओ के संबंध में जानकारी प्राप्त की ।

निरीक्षण के दौरान उन्होने पार्किंग व्यवस्था,प्रवेश का समय,वापसी का समय,साफ सफाई व्यवस्था,पुलिस व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था,स्वास्थ्य व्यवस्था आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

कलेक्टर की उपस्थिति में की गई सरसों की बोवनी

उमरिया। प्रधानमंत्री धन धान्य विकासखंड करकेली के पास पर उप संचालक कृषि संग्राम योजना के तहत कृषक राजकुमार द्विवेदी तथा जानकी प्रसाद मिश्रा के खेत में सुपर सीडर के माध्यम से सरसों की बोवनी कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, सीईओ जिला पंचायत कि उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर राज कुमार व्दिवेदी पिता नरेंद्र व्दिवेदी ग्राम चंदिया के खेत में 2.50 एकड़ में से 2 एकड में सुपर सीडर मशीन से सरसो कि बोवनी तथा जानकी प्रसाद मिश्रा पिता बृजमोहन प्रसाद मिश्रा ग्राम बड़वारा छोटी पाली धारित 2.50 एकड़ मे से 2 एकड मे सरसो की बोनी जीरो टिलेज के माध्याम से कराई गई । इस अवसर सिंह,आसुतोष अग्रवाल,कृषि विस्तार अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे ।

आज गीता महोत्सव का शुभारंभ

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि गीता महोत्सव का शुभारंभ कॉलरी स्कूल ग्राउंड उमरिया में बांधवगढ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह के मुख्य आतिथ्य में 1 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल करेंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा ।

पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए हेलीपैड निर्माण स्थल का कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने किया मुआयना

उमरिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना प्रारंभ की गई है ।

योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने मानपुर विकासखंड अंतर्गत हेलीपैड

निर्माण हेतु विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित किया गया कि हेलीपैड स्थल की दूरी बीटीआर के कोर जोन से 1 किमी. से अधिक हो।निरीक्षण के दौरान ग्राम सरमनिया में दो स्थलों का अवलोकन किया गया। इनमें से किसी एक स्थल का चयन कर आयुक्त शहडोल संभाग की अध्यक्षता में इको सेंसटिव जोन मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिया जाएगा तथा समिति के निर्णय उपरांत अनुमति मिलने पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के क्रियान्वयन हेतु हेलीपैड निर्माण कार्य चयनित स्थल पर शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप संचालक बांधवगढ टाइगर रिजर्व पी के वर्मा,एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी,एसडीओ फॉरेस्ट मानपुर,तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जेल का किया अवलोकन

उमरिया

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जेल का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में साफ-सफाई ठीक पाई गई। जेल में बंदियों के स्वास्थ्य चर्चा में पाया कि प्रतिदिन योगा-व्यायाम कराया जाता है। उनकी व्यक्तिगत हाइजीन व्यवस्था संतुष्टीपूर्वक पाई गया। इस अवसर पर उनके द्वारा मानसिक उपचार ले रहे 5 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया।

जेल अधीक्षक डी.के.सारस, जेल चिकित्सक डॉ. एस.के. जैन तथा जेलर / उप अधीक्षक मखन सिंह मार्को एवं मेलनर्स कनिका रामपाल तथा ड्यूटीरत प्रमुख मुख्य प्रहरी एवं मो0 शारिब, प्रहरी उपस्थित रहे।

नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नालों पर व्यापारी संघ की याचिका

डिण्डोरी डिण्डोरी जिला व्यापारी संघ द्वारा शहर में गंभीर रूप से फैल रहे जल प्रदूषण, सीवेज प्रबंधन की अव्यवस्था तथा नर्मदा नदी में सीधे गंदे नालों के मिल रहे प्रवाह को लेकर जन उपयोगी लोक अदालत, जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डोरी के समक्ष प्रस्तुत याचिका पर न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस जनहित के मुद्दे को अत्यंत गंभीर मानते हुए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त—नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, कलेक्टर डिण्डोरी, मुख्य नगर परिषद अधिकारी, तथा क्षेत्रीय अधिकारी—प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है।

याचिका प्रस्तुत करते समय व्यापारी संघ की ओर से अध्यक्ष संजय जैन, उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, सचिव रत्नेश बिलैया, तथा दुष्यंत पाठक और दीक्षित उपस्थित रहे। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाला दूषित एवं बदबूदार जल बिना किसी वैज्ञानिक उपचार के सीधे माँ नर्मदा नदी में पहुँच रहा है। चूँकि नर्मदा डिण्डोरी नगर का मुख्य पेयजल स्रोत है, इसलिए यह स्थिति न केवल पर्यावरणीय संकट है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों—विशेषकर स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य के अधिकार—का स्पष्ट उल्लंघन भी है। व्यापारी संघ ने अपनी याचिका में नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे सीवेज प्रोजेक्ट में गंभीर तकनीकी अनियमितताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। संघ के अनुसार परियोजना संचालित करने वाली एजेंसी द्वारा मानक के विपरीत 4 इंच व्यास की पतली पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। यह कम क्षमता की पाइपलाइन बार-बार जाम, सीवेज ओवरफ्लो और आसपास की सड़कों के कटाव का कारण बन रही है। इससे न केवल स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है बल्कि शहर के कई क्षेत्रों में दूषित जल फैलने की स्थिति बन गई है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीवर लाइन बिछाने के नाम पर शहर के कई वार्डों की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, जिन पर बड़े-बड़े गड्ढे, उखड़ी हुई मिट्टी और अनियमित खुदाई के चलते नागरिकों के आवागमन में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। स्कूली बच्चों, दोपहिया चालकों तथा व्यापारियों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से परेशान करने वाली हो गई है। आरोप है कि परिषद में बैठे संबंधित अधिकारी इन समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित कार्यवाही करने से लगातार परहेज़ कर रहे हैं, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

पसान में कड़ाके की ठंड के बावजूद अलाव नदारद

हरिभूमि न्यूज जमुना/बदरा। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड और गलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है कोयलांचल क्षेत्र पसान नगर पालिका में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक नगर पालिका द्वारा अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से स्थानीय नागरिकों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। ठंड की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है और बच्चों के लिए ड्रेस कोड में छूट भी दे दी है, लेकिन नगर पालिका के स्तर पर अब तक किसी प्रकार की राहत व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है सुबह और रात के समय गलन की तीव्रता इतनी अधिक है कि लोग जरूरी काम से भी घर से निकलने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। जमुना, भालूमाड़ा, पसान बाजार, बस स्टैंड, मुख्य चौक सहित कई स्थानों पर नागरिकों ने नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह से तत्काल अलाव जलाने की व्यवस्था करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी ठंड पड़ने के बावजूद प्रशासन की तैयारी नदारद है। नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका का दायित्व है कि आमजन को राहत देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करे, ताकि मजदूर, वरिष्ठ नागरिक, राहगीर और गरीब तबके के लोग ठंड से बच सकें। पसान क्षेत्रवासियों ने चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि यदि तुरंत अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, तो नगर प्रशासन के प्रति जनाक्रोश बढ़ सकता है। जनता को उम्मीद है कि अध्यक्ष राम अवध सिंह स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाएंगे।

लामाटोला कोल परियोजना के आसपास शिक्षा स्वास्थ्य व बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

अदाणी फाउंडेशन के विकास प्रयासों से बदल रही ग्रामीणों की तस्वीर

हरिभूमि न्यूज कोतमा। जिले के अदाणी फाउंडेशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत लामाटोला कोल परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पौधरोपण, जल संरक्षण एवं पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार जैसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता एवं स्थानीय ग्रामीणों के जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं।इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।

बुनियादी संरचना में तेजी से सुधार

विकास के श्रृंखला में ग्राम रेउला, गढी, ठोडहा और मौहरी में 6 आंगनवाडी केंद्रों का जीर्णोद्धार कर उन्हें मॉडल आंगनवाडी के रूप में विकसित किया गया है। ग्राम गढी, ठोडहा और मौहरी में तालाबों का जीर्णोद्धार, ग्राम लामाटोला और ठोडहा में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, ग्राम रेउला, गढ़ी और लामाटोला में सघन पौधरोपण तथा पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार कराया गया है।किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य हेत सभी ग्रामों के शासकीय विद्यालयों में नियमित तौर पर जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों में ग्राम पंचायतों एवं शासकीय विभागों का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है।

विकास के लिए प्रतिबद्ध अदाणी फाउंडेशन

अदाणी फाउंडेशन सदैव समाज के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस पहल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहभागिता और जागरूकता अभियान, सामाजिक एकता और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देते हैं।

आदर्श ग्रामों की ओर कदम

परियोजना प्रमुख श्यामजी चतुर्वेदी ने कहा कि, "अदाणी फाउंडेशन के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में बेहतर कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगामी दिनों में ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर सभी ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु कटिबद्ध हैं।"

खबर संक्षेप

राजस्व अधिकारियों व बीएलओ सुपरवाइजर को मिलेगा बांधवगढ़ सफारी का अवसर

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. केदार सिंह की पहल पर एसआईआर कार्य में 100 प्रतिशत लक्ष्य (मैपिंग एवं फार्म अपलोड) पूर्ण करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिले के प्रथम 5 राजस्व सर्कल प्रभारी राजस्व अधिकारी तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रथम 3 बीएलओ सुपरवाइजरों को परिवार सहित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही, संबंधित राजस्व सर्किल की टीम को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि यह पहल उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे प्रयास न केवल टीम की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि निर्वाचन कार्य की गुणवत्ता को भी मजबूत बनाते हैं।

एसआईआर कार्य हेतु गणना पत्रक वापस करने की अपील

शहडोल। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर पहुंचकर वितरित किए गए गणना पत्रक शीघ्र भरकर उन्हें वापस करें। उन्होंने बताया कि बीएलओ गणना पत्रक एकत्रित करने के लिए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कई घरों में लोग उपलब्ध नहीं मिल रहे हैं और न ही अपने बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने बीएलओ से संपर्क कर गणना पत्रक भरकर तत्काल उपलब्ध कराएं। किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित बीएलओ या दूरभाष नंबर 8349901772 पर संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन में जनसहयोग आवश्यक है।

कलेक्टर ने बीएलओ एवं टीम को किया सम्मानित

बड़वारा। एसआइआर सर्वे कार्य मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा मतदान केंद्र क्रमांक 46 पथवारी का भ्रमण किया गया जिस दौरान बीएलओ श्रीमती देव वती मरावी, विनोद सिंह सुपरवाइजर, सहायक बीएलओ मिथिलेश पुरी गोस्वामी एवं उनकी पूरी टीम को 100% समय से पहले डिजिटाइज्ड करने पर कलेक्टर द्वारा पूरी टीम को गुलदस्ते देकर सम्मानित किया गया

गोविंद सिंघल की माता बहोती देवी निधन आज अंत्येष्टि

शहडोल धनपुरी। गोविंद सिंघल की माता श्रीमती बहोती देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 30 नवम्बर 2025 को दोपहर लगभग 3:15 बजे अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि वे पिछले लगभग तीन महीने से अस्वस्थ चल रही थीं और उपचाररत थीं।श्रीमती बहोती देवी अपने पीछे पाँच पुत्रों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। सतीश सिंघल, जो सोहागपुर में सर्वे ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हैं। नरेश सिंघल, जो हाई सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। सुशील सिंघल, जो क्षेत्र के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दीपक सिंघल, जो पेशे से आयकर सलाहकार हैं। गोविंद सिंघल (रीजनल कालोनी), जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं।परिवार ने सूचना दी है कि दाह-संस्कार 1 दिसंबर को प्रातः 11:00 बजे, बुढार रोड स्थित शांति धाम, शहडोल में किया जाएगा। परिवार के इस दुखद समय में नगर के गणमान्यजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं परिचितों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

असिस्टेंट कमिश्नर आनन्द राय सिन्हा ने किया दौरा

एसआईआर का किया निरीक्षण

बुढ़ार।

जैतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर गत जिले के असिस्टेंट कमिश्नर आनन्द राय सिन्हा का निरीक्षण एस आई आर का जैतपुर विधानसभा अन्तर्गत एक सप्ताह से किया जा रहा है।

जिसका परिणाम बूथ क्रमांकों में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। आज भी सिन्हा जी द्वारा काफी बूथ क्रमांकों में टीम बनाकर दौरा किया गया ।टीम में डी के निगम विकासखंड शिक्षा अधिकारी , संजय मिश्रा मंडल संयोजक सीताराम मिश्रा आदि द्वारा आज बूथ क्रमांक 36,37,38,39,40,152, एवम गिरवा रामपुर तरफ भी कई बुथ क्रमांकों में निरीक्षण कर सहयोग हेतू भाग संख्या या नजदीकी भाग संख्या में पदस्थ शिक्षकों, अतिथि शिक्षक आदि सभी लोगों की ड्यूटी लगाते हुए हर हाल में आज ही शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने हेतु सुपर बाइजर को निर्देशित किया गया ।

स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया गया को किसी भी हालात में लापरवाही बर्दास्त नही की जाएगी। बुथ क्रमांक 152 के बी एल ओ के द्वारा मृत 90 बता देने से बी एल ओ को निर्देशित किया गया की पूरे 90 मृत की पंचनामा एवम सरपंच सचिव का शील हस्ताक्षर साहित सूची 11से 20 एवं 31 से 40 के सुपर वाइजर सुरेन्द्र सिंह परिहार/वीरेन्द्र सिंह कर्चूली को या एस डी एम कर्यालय में उपलब्ध कराकर सत्तायापित कराए। सभी बी एल ओ और सुपर बाइजर को निर्देशित किया गया की कार्य को लगन एवम ईमानदारी से करे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। शहडोल जिले में जिले के लोकप्रिय कलैक्टर डॉ केदार सिंह के निर्देशन में पूरे जिले में यह कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है।

एस आई आर कार्य जैतपुर एस डी एम दीपक मंडावी और तहसीलदार जैतपुर संदीप बघेल के नेतृत्व में कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है । बुथ क्रमांक 34, चकोडिया बुथ क्रमांक 35 कुड़ेली में तहसीलदार संदीप बघेल एवम बबलू पटवारी जी के अतुलनीय सहयोग से शत प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। सभी अधिकारीयों के मेहनत के कारण जैतपुर तहसील अन्तर्गत अधिकांश बूथ शत प्रतिशत हो चुके हैं और बाकी बूथ भी शत प्रतिशत कार्य आज या कल हो जाएगा ।। दोनो सुपर बाइजर को श्री सिंन्हा के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है की आज ही 11 से 20 एवं 31 से 40 सभी बूथों को शतप्रतिशत करे जिनका भी सहयोग लेना हो सभी के सहयोग लेना सुनिश्चित करे। यदि कोई कार्य के लिए मना करते हैं तो मुझे तुरंत सुचित करे।

लोकतंत्र सेनानी स्व. नरेंद्र दुबे पंचतत्व में विलीन

गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई, जिले में शोक की लहर

शहडोल।

लोकतंत्र सेनानी और वरिष्ठ भाजपा नेता स्व. नरेंद्र दुबे का शनिवार 29 नवंबर 2025 की रात लगभग 10 बजे कुषाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में निधन हो गया। 67 वर्षीय दुबे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। रविवार की सुबह उनके बुढ़ार रोड स्थित निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और नागरिक शामिल हुए। शांतिवन श्मशान में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्येष्ठ पुत्र अमित दुबे (गोल्डी) ने मुखाग्नि दी।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह और एसडीएम अमृता गर्ग ने शांतिवन पहुँचकर स्व. दुबे के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कलेक्टर ने कहा कि स्व. दुबे लोकतांत्रिक मूल्यों के सच्चे प्रहरी थे और समाजसेवा में सदैव अग्रणी रहे।

स्व. नरेंद्र दुबे ने 1970 के दशक में अविभाजित शहडोल जिले में छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। तेज-तर्रार, प्रखर वक्ता और संघर्षशील छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। वर्ष 1974 में आपातकाल का विरोध करने पर मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्हें मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहाँ वे 19 महीने तक बंद रहे। जेल में प्रताडऩाएं सहने के बावजूद उन्होंने आपातकाल के विरोध का आंदोलन जारी रखा। रिहा होने के बाद उन्होंने पुनः छात्र राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई।

राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनता दल से कार्य की शुरुआत की और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जिला उपाध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए संगठन को मजबूती प्रदान की। स्व. दुबे सदैव पीड़ित और कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने वाले, मिलनसार और समर्पित नेता के रूप में जाने जाते थे।

श्री दुबे के निधन की खबर लगते ही जिले में शोक की लहर फैल गई। भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा ने कहा कि स्व. दुबे हमारे मार्गदर्शक थे। उनके विचार, संघर्ष और सेवाभाव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने पार्टी की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। स्व. नरेंद्र दुबे की अंतिम विदाई में सैकड़ों लोग शामिल हुए और गार्ड ऑफ ऑनर के बीच उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। उनके निधन से शहडोल ने एक सच्चा जनसेवक और निर्भीक लोकतंत्र सेनानी खो दिया है।

डीपीएस में संविधान दिवस पर हुआ कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

डीपीएस कटनी में 'संविधान दिवस' के अवसर पर संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया । इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सीमा दुबे , उपप्राचार्या श्रीमती शबनम अख्तर एवं ट्रैफिक पुलिस टी.आई राहुल पांडे भी उपस्थित थे । सभा में उपस्थित सभासद एवं बच्चों द्वारा यह संकल्प लिया गया कि वे देश की संसद द्वारा बनाए गए संविधान एवं उसके नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तथा एक सच्चे नागरिक होने के नाते देश के संविधान का सम्मान करेंगे।

इस दौरान विद्यालय परिवार द्वारा राहुल पांडे का स्वागत किया गया । इस क्रम में राहुल पांडे ने अपने उद्बोधन से बच्चों को देश के संविधान का सम्मान करने एवं ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का संदेश दिया । आपने ₹राह वीर योजना₹ की जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे किसी के द्वारा समय रहते अस्पताल में पहुँचाया जाता है तो उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा इतना ही नहीं यदि घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुँचाया जाता है तो संबंधित अस्पताल में घायल व्यक्ति का डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।

इस संबंध में बहुत सटीकता से जानकारी दी तथा बच्चों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रेरित किया। आपके द्वारा यह कहा गया कि 'राह वीर योजना' की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि लोग जागरुक हो सकें तथा किसी भी घायल पड़े व्यक्ति को उसी अवस्था में न छोड़कर बल्कि लोग उसे अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचा सकें तथा मानवता का परिचय देते हुए उस परिवार की मदद कर सकें।

एस.आई.आर. फार्म के संग्रहण, डिजिटाइजेशन कार्य में लाएं तेजी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के पालन में कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता गहन पुनरीक्षण सूची 2026 का कार्य प्रगति पर है। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम सीमा के समस्त वार्डों में निवासरत नागरिकों की सुविधा एवं एस आई आर कार्य के दौरान गणना पत्रक वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में सहयोग के मद्देनजर निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा निगम कर्मचारियों को संलग्न किया जाकर कार्य में गति लाने आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए है।

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने शहरी क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम कार्यालय, तीन जोन कार्यालय सहित नगर के विभिन्न वार्डों में निगम कर्मचारियों द्वारा मतदाता गहन पुनरीक्षण सूची 2026 के कार्यों गणना पत्रक के वितरण, संग्रहण तथा एस.आई.आर.फार्म डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संलग्न कर्मचारियों को डिजिटाइजेशन कार्य में गति लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में जाकर तथा गणना पत्रक भरने से वंचित रहे शेष नागरिकों से संपर्क कर फार्म भरने,जमा करने और डिजिटाइजेशन की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश भी संलग्न कर्मचारियों को दिए है। इस महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न ऑपरेटरों को प्रतिदिन के लक्ष्य अनुरूप फार्म का डिजिटाइजेशन कर प्रतिदिन की रिपोर्ट से अवगत कराने की भी हिदायत दी है।

निगमायुक्त ने निर्देशित किया कि फार्म भरने से लेकर वापसी कराने तथा डिजिटाइजेशन कर रिपोर्ट भेजने तक पूरी प्रक्रिया समयबद्ध सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। निगमायुक्त ने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप कार्य कराया जाए, ताकि गहन पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सके।

कार्यक्रमों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त

कटनी। गीता जयंती एवं विक्रमोत्सव के अवसर पर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संचालन एवं कार्यवाही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। शहरी क्षेत्र के लिये उपायुक्त नगर निगम शैलेष गुप्ता एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिपं अनुराग मोदी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अवैध रेत परिवहन पर तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त, चालक फरार

अज्ञात आरोपियों पर प्रकरण दर्ज, पुलिस की निगरानी और सख्त

बुढ़ार।

अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुढ़ार पुलिस ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए तीन बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेत सहित जप्त किया है। सभी वाहन लालपुर सोन नदी के जोड़ान घाट क्षेत्र से अवैध रेत परिवहन करते पाए गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान सभी मामलों में चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों घटनाओं में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रेत से भरी ट्रॉली जब्त

29 नवम्बर को बुढ़ार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जोड़ान घाट से एक बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रेत का उत्खनन कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां सिल्वर रंग का आईसर ट्रैक्टर बिना नंबर मिला। चालक पुलिस को देखकर फरार हो गया। ट्रॉली में पूरी तरह अवैध रेत भरी मिली और कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को लगभग 5,50,000 मूल्य का बताते हुए जप्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा और अज्ञात चालक पर प्रकरण दर्ज किया।

लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर जप्त

उसी दिन पुलिस को दोबारा सूचना मिली कि जोड़ान घाट क्षेत्र में एक और बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत से भरा खड़ा है। टीम मौके पर पहुँची तो लाल रंग का महिंद्रा मॉडल ट्रैक्टर बिना नंबर मिला। चालक पुलिस को देखते ही रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। दस्तावेज जांच में कोई वैध परमिट नहीं मिला। ट्रैक्टर-ट्रॉली व रेत का कुल मूल्य लगभग 2,50,000 आंका गया, जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया और अज्ञात चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया।

चालक ने रेत खाली कर भागा

तीसरी सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां नीले रंग का बिना नंबर आईसर ट्रैक्टर मिला। पुलिस की उपस्थिति देख चालक ट्रॉली में भरी रेत खाली कर फरार हो गया। वाहन में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत का कुल मूल्य लगभग 5,02,000 बताते हुए जप्त किया और प्रकरण दर्ज कर लिया। बुढ़ार पुलिस का कहना है कि अवैध रेत उत्खनन और बिना अनुमति परिवहन गंभीर दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों पर सतत निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सैनिक छावनी की भूमि से हटेगा अवैध कब्जा, एसडीएम ने अपील की ख़ारिज

हरिभूमि न्यूज ⏭ स्लीमनाबाद

स्लीमनाबाद के ग्राम हरदुआ में 6 एकड़ से अधिक सैनिक छावनी की भूमि जिसपर विशेष समुदाय के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत, विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ने अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाने के आगे आकर आवाज बुलंद की थी ओर कब्जा हटाने तहसीलदार, एसडीएम ओर कलेक्टर को शिकायत की थी।

तहसीलदार स्लीमनाबाद के द्वारा अतिक्रमण की हुई भूमि खसरा नंबर 54 रकबा 2.72 हैक्टेयर की बारीकी से जाँच कराई। जाँच के लिए विधिवित दो -दो अलग अलग दल बनाकर भूमि का सीमांकन 15 अक्टूबर 2025 को कराया गया। जाँच दल ने सीमांकन मै पाया कि उक्त भूमि जो सैनिक छावनी के नाम दर्ज है उस पर अवैध कब्जा होना पाया। जाँच दल जाँच प्रतिवेदन बनाकर तहसीलदार को सौपा।

स्लीमनाबाद तहसीलदार सारिका रावत ने 27 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय को उक्त भूमि से कब्जा हटाने का आदेश पारित किया जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने तहसीलदार के आदेश को एसडीएम कोर्ट में अपील की। एसडीएम राकेश चौरसिया ने मुस्लिम समुदाय के द्वारा की गईं अपील को शुक्रवार को ख़ारिज करते स्लीमनाबाद तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा। एसडीएम ने अपने आदेश पर उल्लेख किया कि उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्लीमनाबाद तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा स्लीमनाबाद तहसील न्यायलय के पारित आदेश को स्थिर रखा जाता है।

एसडीएम के द्वारा अपील ख़ारिज होने के बाद अब यें तों स्पष्ट तौर पर साफ हो गया है सैनिक छावनी की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था जो अब प्रशासन द्वारा जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

खबर संक्षेप

हनुमान मंदिर की दान पेटी से नगदी व चांदी के मुकुट की चोरी

अनूपपुर। जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह मंदिर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित है। चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी को तोड़कर उसमें से नगदी चुरा ली। इसके अतिरिक्त, हनुमान जी की मूर्ति पर लगा चांदी का मुकुट भी गायब है। मंदिर समिति और पुजारी ने बताया कि दान पेटी में नकदी मौजूद थी। चोरों ने पास के शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। मंदिर के पुजारी जीवन लाल द्विवेदी ने जानकारी दी कि जब वे सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे, तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ मिला। दान पेटी का ताला भी टूटा था और हनुमान जी का चांदी का मुकुट गायब था। दान पेटी में रखे रुपये भी नहीं थे। बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि मंदिर से लगभग 16 हजार रुपये के सामान की चोरी हुई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

34 केन्द्रों में आज से समर्थन मूल्य पर होगा धान का उपार्जन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 1 दिसम्बर से शुरू किया जा रहा है। धान उपार्जन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अनीता सोरते ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 34 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जिले में 22 हजार 44 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इनका सत्यापन किया जा चुका है। धान उपार्जन के लिए तहसील अनूपपुर में 10, तहसील जैतहरी में 7, तहसील कोतमा में 9, तहसील पुष्पराजगढ़ में 8 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि एफएक्यू धान के लिए 2 हजार 3 सौ 69 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में तौल कांटे एवं बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। पंजीकृत किसान अपनी धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से अथवा एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से दिनांक और समय का निर्धारण करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की सुविधा आरंभ हो गई है। धान का उपार्जन करने के लिए खरीदी केन्द्र आते समय किसान असुविधा से बचने के लिए अपने पंजीयन की रसीद, स्लॉट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल अपने साथ रखें।

गीता जयंती पर आज एकलव्य स्कूल में आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

अनूपपुर। सोमवार 1 दिसंबर यानि आज गीता जयंती महोत्सव 2025 के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन एवं विश्व गीता प्रतिष्ठानम का संयुक्त आयोजन प्रदेश भर में आयोजित किया गया है। इसी परिपेक्ष में जिला प्रशासन अनूपपुर द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय अनूपपुर में आयोजित किया गया है।

जनता की समस्याओं को भूली नगर पालिका

गुलाबी ठंड की रंगत से नगरवासी समेत यात्री परेशान

नपा से अलाव की मांग नही हो रही पूरी, नपा को नही आ रही याद

नवंबर माह के शुरूआती दिनो से अचानक मौसम ने मिजाज बदला और सर्दी के अहसास ने लोगो को गर्म कपडो का सहारा लेने पर विवश कर दिया जहां पिछले महीने तक तेज धूप होने के कारण सुबह जल्दी घरो से निकल पडते थे वही अब ठण्ड के असर ने जल्दबाजी पर ब्रेक लगा दिया है।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

इसी के साथ नगर पालिका की आम जनता ने नगर पालिका अनूपपुर से मांग की है कि नगर के चिन्हित तिराहो व चौराहो में अलाव की व्यवस्था करवाई जाये जिससे लोगो को इस ठंड से राहत मिल सके, लेकिन देखा जा रहा है कि नगर की सफाई व्यवस्था से लेकर अलाव की मांग तक को किनारे कर दिया है जिसका खामियाजा बढ़ती ठण्ड मे नगरवासी भुगत रहे हैं।

देखा जा रहा है कि धूप निकलने के बाद ही लोग घरो से बाहर निकल पाते है जहां सुबह 10 बजे तक ठण्ड का असर बरकरार रहता है तो वही शाम ढलने मौसम सर्द हो जाता है और शरीर मे कपकपाहट का अहसास होने लगता है पिछले माह तक शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रो तक लोग कूलर व पंखो का सहारा लेने पर मजबूर थे और सितम्बर अक्टूबर माह मे गर्मी का माहौल देखा गया और गाहे बगाहे ठण्ड ने नवंबर के शुरूआती दिनों मे ही दस्तक दी और लोगो को धूप सुहानी लगने लगी।

गर्म कपडो का सहारा

ठण्ड का सीजन शुरू होने के बाद कपडो की दुकान में गर्म कपड़ो की बिक्री होनी शुरू हो गई शहर हो या गांव सभी क्षेत्र मे गर्म कपडो की आवश्यकता लोगो को महसूस हो रही है। आखिरकार ठण्ड ने अपनी आहट देते ही लोगो को गर्म कपडो का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। गर्म कपडो की दुकानो मे महिला पुरूष व बच्चो की भीड देखने मिल रही है लोगो को साल स्वेटर आदि निकाले या खरीदने मे मजबूर कर दिया ।

सजी गर्म कपडो व रजाई गद्दो की दुकान

रजाई गद्दा बनाने वाले रूई विक्रेताओ की दुकानो की ओर भी खरीददारो का रूख होने लगा है। गौर करें तो दैनिक उपयोग उपभोग की वस्तुओ मे लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान हलाकान जनता को कपडो की खरीदी पर भी महंगाई का सामना करना पड रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रूई के दामो मे वृद्धि हुई है जिसके कारण रजाई गद्दा खरीदने या भरवाने जाने वाले ग्राहको को अपनी जेब टटोलने के बाद ही कदम आगे बढाना पड रहा है बल्कि यह कहना अतिशियोक्ति नही होगी गर्म कपडो की दुकानो मे जाने वाले ग्राहको की जेबे ढीली हो रही है।

उठी अलाव की मॉग

नगर पालिका अनूपपुर के सीएमओ व नगर पालिका अध्यक्ष से अनूपपुर की आम जनता ने ठंड को देखते हुये नगर के मुख्य जगहो पर अलाव जलाने के लिए लकडी की व्यवस्था करवाने की मॉग की है। जिनमें रेल्वे स्टेशन चौराहा, बस स्टैंड, पीएचई तिराहा, हनुमान मंदिर तिराहा सामतपुर, इंदिरा चौक, शंकर मंदिर चौराहा, अमरकंटक तिराहा, रजहा तालाब तिराहा बस्ती है, लेकिन वर्तमान समय मे नगर पालिका कार्यालय मे मचे आपसी तनातनी मे मूल कार्य भी ठीक ठाक व समय पर नही हो रहे हैं। जबकि अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को अपनी आपसी तनातनी को किनारे रख जनता की मांग व समस्याओं के निराकरण पर ध्यान देना चाहिये पर यहां ऐसा नही हो पा रहा है जिससे एक ओर जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है वही समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल जिले के अन्य नगर पालिका, परिषद मे भी है।

महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी व कार्यशाला

अमरकंटक में महिलाओं का सशक्तिकरण सुरक्षा और कौशल पर फोकस

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक।

पवित्र नगरी अमरकंटक में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत "अंतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा" विषय पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन शनिवार को अतिथिथेयम यात्री निवास अमरकंटक में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आईजीएस (इंडियन ग्रामीण सर्विसेज) के सहयोग से तथा कल्याणिका ट्रस्ट के व्यवस्थापक विनोदाचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आईजीएस के शहडोल क्लस्टर समन्वयक सुशील कुमार पाण्डेय ने की। उन्होंने बताया कि पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों की सुरक्षा, सहजता और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के 50 पर्यटन स्थलों (20 क्लस्टर) में यह परियोजना प्रभावी रूप से लागू है। उन्होंने कहा कि अमरकंटक, बांधवगढ़ और शहडोल पर्यटन क्षेत्र शहडोल क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं, जहाँ विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अमरकंटक डेस्टिनेशन में बैग स्टिचिंग, टूरिस्ट फैसिलिटेटर गाइड, स्ट्रीट फूड वेंडर, हाउसकीपिंग, कुकिंग स्किल, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, फ्रंट ऑफिस प्रबंधन, टूर एंड ट्रैवल्स स्किल, ई-रिक्शा ड्राइविंग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़ा गया है। प्रशिक्षित महिलाओं के विषयानुसार विभिन्न क्लब गठित किए गए हैं तथा इन्हें मिलाकर नर्मदांचल महिला पर्यटक सेवा प्रदाता संघ का गठन भी किया गया है। संगोष्ठी में घरेलू हिंसा, डिजिटल हिंसा और मानव तस्करी से सावधान रहने के विषय पर कल्याणिका डी-एड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बृजेश मिश्रा ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत कीं, वहीं कल्याणिका बीएड महाविद्यालय के प्रोफेसर दीपक पंडा ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,रमन्ते तत्र देवताः जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं इसलिए नारियों का सम्मान सर्वप्रथम किया जाना चाहिए उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए उन्होंने महिलाओं के विषय में चर्चा करते हुए आवश्यक हेल्पलाइन नंबर 1090 और डायल 112 साझा करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा का आरंभिक स्तर पर ही प्रतिकार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए "ना" कहने की आदत विकसित करनी होगी। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए एमपीटी हॉलीडे होम्स के प्रबंधक अतुल आस्थाना ने कहा कि पर्यटन क्लब और फेडरेशन से जुड़ी महिलाएँ यदि एकजुट होकर कार्य करें तो अमरकंटक को एक नई पहचान दिलाई जा सकती है। अध्यक्षीय उद्बोधन में विनोदाचार्य ने सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि पर्यटन स्थल को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा हर संभव सहयोग जारी रहेगा।

जंक्शन अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर जनसुविधाओं का घोर अभाव

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

जंक्शन अनूपपुर रेलवे स्टेशन जिला अनूपपुर का प्रमुख स्टेशन होने के बावजूद आज भी मूलभूत रेल सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि रेल प्रबंधन द्वारा स्टेशन का कायाकल्प तो किया जा रहा है, किन्तु दूसरी ओर यात्रियों की आवश्यक सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। कोतमा निवासी शिक्षक बाल्मिक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुपपुर रेलवे स्टेशन का बाहरी स्वरूप काफी सुंदर बनाया गया है, लेकिन प्रबंधन की उदासीनता के कारण यात्री शुद्ध पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। स्टेशन परिसर में कहीं पर भी खुला शौचालय उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री तिवारी का कहना है कि जब शौचालय हेतु स्टेशन के कर्मचारियों से संपर्क किया गया तो उन्हें उच्च श्रेणी के वेटिंग हॉल का उपयोग करने की सलाह दी गई, जबकि सामान्य टिकट वाले यात्री उच्च श्रेणी के वेटिंग हॉल में जाने से कतराते हैं और नियमों की अनदेखी का दोष भी उन पर लगाया जाता है। यात्रियों ने बताया कि अनुपपुर जंक्शन पर 24 घंटे यात्रियों की आवाजाही होती रहती है, इसके बावजूद पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सेवाओं का अभाव बना हुआ है। कई यात्रियों ने रेल प्रबंधन से बार-बार शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए शौचालय का निर्माण तो किया गया है, परंतु अधिकांश शौचालयों पर ताले लगे होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि मरीज, बुजुर्ग और बच्चे समेत आम

यात्री शुद्ध पेयजल और शौचालय की सुविधा न मिलने से स्टेशन परिसर में इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों में आक्रोश बढ़ रहा है, बल्कि स्टेशन प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। सेवानिवेश शिक्षक बाल्मिक तिवारी ने रेल प्रबंधन से आग्रह किया है कि यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पेयजल, शौचालय सहित सभी जरूरी सुविधाओं को सुचारू रूप से चालू कराया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

द्वारका- सोमनाथ की यात्रा के लिए 7 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत द्वारका- सोमनाथ की यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिकों से 7 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्ताशय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की अध्यक्ष व जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी ने बताया है कि तीर्थ यात्रा के लिए जिले के वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में दो वर्ष की छूट) जो आयकर दाता नहीं है विशेष रेलगाड़ी से द्वारिका- सोमनाथ की तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। अनूपपुर जिले के 200 यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे द्वारिका- सोमनाथ तीर्थ के लिए अनूपपुर जिले से यात्री 21 जनवरी 2026 को अनूपपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे तीर्थ यात्रा पश्चात 27 जनवरी 2026 को अनुपपुर जिले में तीर्थ यात्रियो की वापसी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक को ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया है कि तीर्थ यात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करते समय संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि यदि पति-पत्नी दोनो यात्रा करने के इच्छुक हों, तो उनके आवेदन एक साथ प्राप्त कर संलग्न किए जांए। इसी प्रकार 65 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने वाले आवेदक यदि अकेले या पति-पत्नी दोनो यात्रा पर जा रहे हैं तथा सहयोगी की मांग कर रहे हैं तो उनके सहयोगी का आवेदन भी भराया जाकर आवेदक के आवेदन के साथ में संलग्न किया जाए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति यदि यात्रा में जाना चाहता है, तो उसे भी सहयोगी के साथ यात्रा में भेजा जा सकेगा, बशर्ते डॉक्टर द्वारा उसे यात्रा में जाने हेतु सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। चयनित तीर्थ यात्रियों को जिस स्टेशन से ट्रेन प्रारंभ हो रही है वहां तक अपने स्वयं के साधन से आना होगा तीर्थ यात्री यदि कोई विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करता है, तब उसे उसका पृथक से शुल्क देना होगा। यात्रियों से मौसम के अनुरूप वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री जैसे चादर तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखने की अपेक्षा की गई है। साथ ही यात्रियों से अपने साथ ओरिजनल आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से रखने की अपेक्षा की गई है

स्टेशन के सामने जाम नाली दुकानकारी कर रहा प्रभावित

दुकानदार बोले बैठना मुश्किल, ग्राहक दूर भाग रहे

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

नगर मुख्यालय के सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक रेलवे स्टेशन रोड वार्ड नंबर 5 इन दिनों गंभीर स्वच्छता संकट से जूझ रहा है। क्षेत्र में बनी नई नालियां निर्माण के तुरंत बाद ही जाम और कचरे से भर चुकी हैं ऊपर से ढक्कन न लगाए जाने के कारण सड़क का सारा कचरा सीधे नाली में गिर रहा है। इससे नालियां पूरी तरह रुक गई हैं और उनमें जमा बदबूदार पानी दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाली खुले रूप में बीच सड़क उभरी हुई है जिसके आस-पास बड़े पत्थर और गड्ढे बने हुए हैं। इन खुले नालों के कारण जहाँ दुर्घटना की आशंका बढ़ी है वहीं नालियों से उठ रही सड़ांध ने व्यापारियों का दिनभर दुकान में बैठना भी दूभर कर दिया है। कई दुकानदारों ने बताया कि यहां लगातार बदबू रहती है ग्राहक दो मिनट खड़े होना पसंद नहीं करते। व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नाली निर्माण के बाद से न कोई निरीक्षण हुआ और न ही ढक्कन लगाए गए। नतीजा यह हुआ कि सड़क की धूल-कचरा बाजार का बचा हुआ कचरा और दुकानों के आसपास की गंदगी सीधे नाली में जाती रही जिससे नालियां कुछ ही दिनों में जाम हो गईं। दुकान संचालकों ने बताया कि शिकायतें कई बार की गईं लेकिन वार्ड पार्षद ने आज तक मौके पर आकर हालात देखने की भी जरूरत नहीं समझी। लोगों में इस लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है। स्थानीय निवासी और दुकानदार बताते हैं कि गंदगी और बदबू के कारण बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भयावह रूप ले लेती है क्योंकि पानी नालियों से उभरकर सड़क पर फैल जाता है। इससे न केवल पैदल चलना मुश्किल हो जाता है बल्कि दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि चाय-नाश्ते की दुकानें और खाने-पीने की जगहों के पास इतनी गंदगी होना ग्राहकों को दूर कर रहा है। लोग साफ-सुथरी जगह चुनते हैं और यहाँ आना कम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास का यह इलाका प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर स्वच्छता व्यवस्था का बदहाल होना नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाता है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि नगर पालिका द्वारा नालियां बनाकर छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। ढक्कन लगाना नियमित सफाई करवाना और कचरा निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

समक्ष में, अनुविभागीय अधिकारी कोतमा जिला - अनूपपुर (म.प्र.)
प्र.क.0261 / अ-63अ / 2024-25
धारा 115 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
आदेश दिनांक:-17-10-25
पेशी दिनांक:- 18/12/2025

संजय कुमार अग्रवाल उम्र 56 वर्ष पिता स्व. गोविन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 02 कोतमा थाना व तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.).....प्रार्थी/आवेदक

वनाम

1. नीरज, 2. रविन्द्रनाथ 3.अरविन्द सभी पिता गोरेलाल जाति केवट पता नमालूम, 4. म.प्र. शासन जरिये हल्का पटवारी कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.).....अनावेदकगण

इश्तिहार

सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कुमार अग्रवाल पिता स्व. गोबिन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी कोतमा द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कोतमा स्थित आराजी खसरा नं. 1015/5 रकबा 0.040 हे. जो मौजा ग्राम कोतमा पटवारी हल्का कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर में स्थित है, उक्त आराजी आवेदक के स्वामित्व की आराजी है, वर्ष 2005-06 लगायत वर्तमान वर्ष 2024-25 के राजस्व खसरे में आवेदक के स्थान पर अज्ञात व्यक्ति अनावेकगण नीरज, रविन्द्रनाथ, अरविन्द्र सभी पिता गोरेलाल केवट का नाम दर्ज है जिसके संबंध में खसरा सुधार बाबत न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है।

उक्त आवेदन की सुनवाई इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जिसकी तारीख पेशी दिनांक 18/12/25 को नियत है, उक्त आराजी के संबंध में दर्ज अनावेदक का कोई पता दर्ज नही है जिस कारण इस समाचार पत्र में इश्तिहार प्रकाशन के माध्यम से उक्त आवेदन पर उक्त व्यक्ति अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति निकाय संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उक्त आराजी से हितबद्धता होने की स्थिति में नियत तारीख पेशी तक स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम जिन्हे सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति या शिकायत न आने की स्थिति में गुजरने ग्याद प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी और प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।

आज दिनांक 17/10/25 को न्यायालय की पदमुद्रा व हस्ताक्षर से जारी ।

(सील) अनुविभागीय अधिकारी
कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)